



2026:AHC: 59401

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5620/2026

कुलदीप तिवारी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: राजीव उपाध्याय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-66

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव उपाध्याय और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री एस.बी. सिंह को सुना गया।

2- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना सिधारी, जिला आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 333 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 80(2), 85, 115(2), 352, 351(3) और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, यद्यपि आवेदक मृतका का पति है लेकिन झूठे अभिकथन के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

4- वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, वास्तव में आवेदक सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था और वह मृतका को पैसे भेजता था, जो अलग किराए के मकान में रहती थी, लेकिन वह आवेदक से संतुष्ट नहीं थी और इसलिए फोन पर भी हमेशा उससे झगड़ा करने के लिए तैयार रहती थी और जब भी आवेदक भारत लौटता था, तो वह उससे झगड़ा करती थी।

5- वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, झगड़े के कारण एक दिन आवेदक ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह वह बच गया, लेकिन कुछ दिनों बाद

04.07.2025 को उसकी पत्नी यानी मृतका ने कीटनाशक का सेवन कर लिया और उसकी मृत्यु हो
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई और उपरोक्त तथ्य राहुल यादव के विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयान से भी स्पष्ट हैं, जो आवेदक और मृतका का मकान मालिक था और उसका बयान पेपर-बुक के पृष्ठ-65 पर संलग्न किया गया है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, यहाँ तक कि विसरा रिपोर्ट भी यह सुझाव देती है कि मृतका की मृत्यु कीटनाशक के सेवन से हुई है।

6- वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान वाद में वह 16.09.2025 से यानी पिछले छह माह से अधिक समय से कारागार में है।

7- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

8- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।

9- यद्यपि, आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की शादी के तीन वर्ष के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और दहेज की मांग के संबंध में यातना का भी अभिकथन है, लेकिन मृतका की विसरा रिपोर्ट पर विचार करते हुए, इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मृतका के मकान मालिक के बयान पर विचार करते हुए, जिसे पेपर-बुक के पृष्ठ-65 पर संलग्न किया गया है, आवेदक द्वारा बताए गए मृतका की मृत्यु के कारण को भी इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

10- इसके अलावा, यह भी परिलक्षित होता है कि, एफ.आई.आर. दहेज की मांग के अस्पष्ट अभिकथन पर आधारित है क्योंकि एफ.आई.आर. में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि दहेज की मांग क्या थी।

11- इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 16.09.2025 से यानी पिछले छह माह से अधिक समय से कारागार में है।

12- इसके अलावा, विधि स्थापित है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और दंडात्मक या निवारक उद्देश्य के लिए जमानत आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13- इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14- तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक- **कुलदीप तिवारी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

23 मार्च, 2026

एके पांडेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)